

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं०.....

87
13/14
5/13

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक को ग्राम में आयोजित कैम्प में
श्री श्री रंजु कुमार
बल/पति श्री राजेश कुमार
ग्राम कैलाश थाना बगारनीया जिला बालिया
बसीका नं० 880 दिनांक 18/2/13 के द्वारा निर्माकित जमीन का
दाखिल खरिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>शनीपुर</u>	<u>19</u>	<u>56</u> <u>969</u>	<u>969</u> <u>56</u>	<u>600</u> <u>वर्गफुट</u>	<u>1.00</u>

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थिति व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज
..... किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

अंचलाधिकारी, पटना सदर

अंचलाधिकारी, पटना सदर